HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2481/2026

Ravi Kumar Jounwal S/o Shri Kishan Lal Jounwal, Aged About 35 Years, R/o House No. 2/151, Rajasthan Housing Board, District Tonk (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.
2. Smt. Shimla Devi Choudhary W/o Dharmendra Choudhary, Aged About 32 Years, R/o Tehsil Alipura District Tonk (Rajasthan).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Praveen balwada, Adv. Mr. Aditya Raj, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M S Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त को सुना गया।

याची/अभियुक्त को संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा धारा 138 एनआईएक्ट के अपराध में दोषसिद्ध व दंडित किया गया है। दिनांक 16.10.2025 को विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दण्डादेश स्थगित करते हुए शर्तें अधिरोपित की गयी थी।

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त की ओर से निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 16.10.2025 की पालना में निर्धारित अवधि में धारा 148 एन आई एक्ट के तहत आदेशित प्रतिकर राशि जमा नहीं करायी जा सकी थी, लेकिन बाद में विचारण न्यायालय में जमा करायी जा चुकी है, अतः ऐसी स्थिति में जो विलंब हुआ है उस अवधि तक समय का विस्तार किया जावे।

निवेदन उचित होने से राशि जमा कराने की दिनांक तक समय का विस्तार किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता याची का एक अन्य निवेदन यह है कि आदेश दिनांक 16.10.2025 की पालना में वे जमानत मुचलके पेश नहीं कर सके थे, अब 15 दिनमें जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर है। आज से 15 दिन का समय उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्रदान किया जाता है।

इसी अनुसार यह याचिका स्वीकार कर निस्तारित की जाती है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /63